उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 196/2026 (प्रवीण कुमार चौधरी बनाम् बिहार राज्य)
ए.बी.ए. नं0 432/2026 (रामचन्द्र तांती बनाम् बिहार राज्य)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 196/2026
संग्रामपुर थाना कांड संख्या– 121/2025.

---

1. प्रवीण कुमार चौधरी।.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

और

ए.बी.ए. नं0 432/2026

2. रामचन्द्र तांती .....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से – **श्री राहुल कुमार, विद्वान अधिवक्ता।**
विपक्षी/सरकार की ओर से – **श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।**

25.04.2026 उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना कांड सं0 से संबंधित हैं, इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से उक्त दोनों जमानत आवेदनों को एक साथ सुनकर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदकगण **1. प्रवीण कुमार चौधरी एवं 2. रामचन्द्र तांती** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक सं0 2 ने पूर्व में एबीए सं0 280/2026 दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया गया। आवेदकगण द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 एवं 4 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण क्रमशः प्रबंधक तथा पूर्व अध्यक्ष है। आवेदकगण के पास से या घर से अनाज बरामद नहीं हुआ है। दिनांक 10.09.2024 के सत्यापन के दौरान गोदाम में स्टॉक नहीं पाया गया, जो गबन को साबित नहीं करता है। यह सर्वविदित है कि अभियोजन को वसूली कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही के

उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 196/2026 (प्रवीण कुमार चौधरी बनाम् बिहार राज्य)
ए.बी.ए. नं0 432/2026 (रामचन्द्र तांती बनाम् बिहार राज्य)

लगाातार

25.04.2026. विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक राजेश कुमार पासवान, वरीय सहकारी प्रसार अधिकारी, संग्रामपुर के आवेदन के टंकित आवेदन के आधार यह है कि कार्यालय जिला सहकारित पदाधिकारी, मुंगेर के विभिन्न पत्रांकों के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में रामपुर पैक्स के द्वारा कुल 600.100 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति हुई, जिसके समतुल्य 408.068 एमटी चावल की आपूर्ति दिनांक 30.09.2024 तक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को किया जाना था, परंतु निर्धारित तिथि तक चावल की मात्र 229.70 एमटी की आपूर्ति की गयी एवं 178.368 एमटी आपूर्ति करना शेष रह गया। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा विभिन्न पत्रांकों के द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित करने का नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही तत्कालीन सहकारित प्रसार पदाधिकारी संग्रामपुर अनिल कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को रामपुर पैक्स गोदाम में सत्यापन के दौरान मात्रा शून्य पाया गया, जिसके आधार पर रामपुर पैक्स प्रखंड संग्रामपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक के द्वारा 262.30 एमटी धान की मात्रा में सन्निहित सरकारी राशि मो0 57.92 लाख का गबन कर लिया गया। तब वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचक को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 316(5), 318(4), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण पर सरकारी खाधान्न भंडारण में धान की आपूर्ति नहीं करने तथा मो0 57.92 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाया गया है। आवेदकगण के द्वारा पूर्व में कुल मो0 10.50 लाख रुपए दी मुंगेर जमुई सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमि0 मुंगेर में जमा किया गया है, जिसकी रसीद अभिलेख पर उपलब्ध है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूरक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि पूर्व में दस लाख पचास हजार रुपए जमा किया गया है तथा शेष मो0 47,42,000/– रुपए बाकी हैं, जो पांच समान किश्तों में जमा करने को तैयार हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदकगण **1. प्रवीण कुमार चौधरी एवं 2. रामचन्द्र तांती** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा के साथ एवं विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर औपबंधिक रूप से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदकगण के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**

उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 196/2026 (प्रवीण कुमार चौधरी बनाम् बिहार राज्य)
ए.बी.ए. नं0 432/2026 (रामचन्द्र तांती बनाम् बिहार राज्य)

लगाातार

25.04.2026. 2. आवेदकगण शेष राशि 47,42,000/– रुपए का भुगतान आदेश प्राप्ति के पांच माह के अंदर पांच समान राशि की किस्त के आधार पर करेंगे।

3. आवेदकगण विचारण न्यायालय में राशि की पहली किस्त की रसीद के साथ बंधपत्र दाखिल करेंगे।

4. आवेदकगण द्वारा जब पांच किस्तों के द्वारा संपूर्ण शेष राशि लौटा दी जाएगी, तब विचारण न्यायालय आवेदकगण का जमानत को संपुष्ट कर सकते हैं।

5. यदि आवेदकगण के द्वारा उक्त दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या तय समय सीमा के अंदर राशि वापस नहीं की जाती है, तो आवेदकगण का बंधपत्र स्वतः ही खंडित माना जाएगा।

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 25.04.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतुर्थ, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति भेजी जाती है।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 25.04.2026